सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-142**
28/03/2016

जागो मॉझी की मृत्यु भूख से नहीं हुई :– मुख्यमंत्री

पटना 28 मार्च, 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि उतराखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो निर्णय लिया गया है केन्द्र सरकार के द्वारा, वह अलोकतांत्रिक है। इस देश में अनेक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में बहुत ही स्पष्ट फैसला दिया है और वह यह है कि विधानसभा में किसी को बहुमत प्राप्त है कि नहीं, इसका फैसला विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिये। जब विधानसभा की बैठक आहुत की जा चुकी थी और 28 मार्च का समय वहॉ की सरकार को मिल चुका था तो वैसी परिस्थिति में उसके पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई औचित्य नहीं था। इससे परहेज करना चाहिये, यह अलोकतांत्रिक है और इसके संबंध में दूसरी बात जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि अगर इस तरह से दलों में दल–बदल को बढ़ावा देना है तो 10 शिड्यूल को समाप्त कर देना चाहिये। आज 10 शिड्यूल में डिफेक्शन पर रोक लगाने के लिये जो प्रावधान है, यह प्रावधान एन0डी0ए0 की सरकार के समय बनाया गया था, जब माननीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी और अरूण जेटली जी उस मामले में सबसे सक्रिय थे। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया कि कोई दल–बदल नहीं कर सकता है, अगर दो तिहाई से कम संख्या है तो वैसी स्थिति में कोई दल से अलग होने के बारे में सोंच नहीं सकता क्योंकि 10वीं अनुसूची में प्रावधान है कि दो तिहाई सदस्य चाहें तो फिर वो किसी दल में शामिल हो सकते हैं। जब सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम है तो वैसी परिस्थिति में दल के अनुशासन के बाहर जाना संभव नहीं हे। ये जो हो रहा है, यह 10 शिड्यूल का मजाक उड़ाने के समान है। केन्द्र की सता में जो लेाग हैं, उनको चाहिये कि 10 शिड्यूल को समाप्त कर दें। अगर इस प्रकार से दल–बदल को बढ़ावा देना है तो दल–बदल के लिये खुली छूट दे दें, 10 शिड्यूल को समाप्त कर दें ताकि जो जहॉ चाहे, जब चाहे जा सकता है। अगर कुछ विधायक किसी दल को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अगर सरकार सरकार गिराने की कोशिश करते हैं तो इसको किसी भी प्रकार से बढ़ावा देना संविधान की धज्जियॉ उड़ाने के समान है। अब ये बी0जे0पी0, कॉग्रेस पर आरोप लगा सकती है, कहती है कि अपने घर को संभालिये, यह अलग बात है, भाजपा क्या कर रही हैं। संविधान की रक्षा करना उनके मर्यादाओं का पालन करना ये केन्द्र में बैठे लोगों का दायित्व है या नहीं या सिर्फ एक दूसरे पार्टी की सरकार कहीं हो तो येन–केन प्रकारेण गिरा दो। अरूणाचल की तरह कोई और सरकार बना लो, ये तो पूरा का पूरा संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है और जो लोकतंत्र है, उसको ये कमजोर करेगा।

मुख्यमंत्री ने शिवसेना द्वारा महबूबा मुफ्ती को भी भारत मॉ की जय बोलना चाहिये, के संबंध में उठाये गये प्रश्न का जवाब देते हुये कहा कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे पुराने सहयोगी के सुझाव पर गौर करना चाहिये और अमल करना चाहिये। भारत माता की जय बोलने में क्या कठिनाई है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है, इसे नाहक ही मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई जय हिन्द बोलता है, कोई कुछ भी बोले, देश के प्रति जो मन में प्रेम है, वो किसी के कहने से थोड़े ही है। लोग

देशभक्त हैं और देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानी दी है। जो संघ परिवार है, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था।

पोरबंदर के बी0जे0पी0 सांसद द्वारा कुछ लोगों को खुलेआम लात से पीटते हुये देखे गये, के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों के यहॉ तो कोई कुछ बोल देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब यह देखना है कि भाजपा क्या अनुशासनिक कार्रवाई करती है। भाजपा के पास कोई भी मोरल वैल्यू या एथिक्स नहीं है।

जागो मॉझी के संबंध में पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जागो मॉझी की भूख से मौत नहीं हुयी है। वहॉ के जिलाधिकारी ने जॉच कराकर उसकी पूरी रिपोर्ट भेजी है। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से मॉगी थी और इसके संबंध में पहले से ही डी0एम0 ने पूरी जॉच पड़ताल कर रिपोर्ट भेजी है और उसके हिसाब से भूख से मौत का प्रश्न नहीं है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, वह अंत्योदय योजना से कवर थे। जनवरी महीने में भी उन्होंने अनाज उठाया है और वृद्धावस्था पेंशन उनकी पत्नी को भी मिल रहा था, यह सारी बातें डी0एम0 के रिपोर्ट में है और उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बीमारी के कारण ही उनकी मौत हुयी है।

******